**शिवा आनंद**

**बनाम**

**इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड व अन्य**

12 अक्टूबर, 2007

**(जस्टिस एसबी सिन्हा एवं हरजीत सिंह बेदी)**

सेवा कानून - समाप्ति -अनुशासनात्मक कार्यवाही- कर्मचारी ने वीजा प्राप्त करने के लिए नकली दस्तावेज पेश किया - बर्खास्तगी - उच्च न्यायालय के एकल - न्यायाधीश ने आदेश को रद्द करते हुए बहाली का निर्देश दिया - उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया- मामले के तथ्यों में कर्मचारी को उचित रूप से दंडित किया गया है- हालांकि बर्खास्तगी की सजा को उसके पिछले अच्छे करियर रिकॉर्ड -और योग्यता के उच्च स्तर को देखते हुए सेवा समाप्ति में बदल दिया गया।

अपीलार्थी जो अप्रार्थी एयरलाइंस का एक कर्मचारी है, पर वीजा प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र - अप्रार्थी से प्राप्त कर पेश करने का आरोप लगाया गया था। जांच अधिकारी ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट दी। उन्हें प्राधिकारी द्वारा तदानुसार दंडित किया गया था। पक्षकरों के बीच कुछ मुकदमेंबाजी के बाद अपीलार्थी ने बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ एक विभागीय अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा दोनों आदेशों को रिट याचिका में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और उनकी बहाली का - निर्देश दिया। रिट अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

1. जो मुद्दे उठाए गए हैं, तथा अपीलार्थी द्वारा उसके वीजा के लिए आवेदन के साथ फर्जी दस्तावेज पेश करने के आचरण के परिप्रेक्ष्य में डिवीजन बेंच के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। [पैरा 4] [366-एफ]

2. वैकल्पिक रूप् से अपीलकर्ता का प्रस्ताव यह था कि इंडियन एयरलाइंस के साथ उनके 27 वर्षो के समान रूप से अच्छे करियर और एयरक्राफ्ट इंजिनियरिंग में एक उच्च योग्य मास्टर तकनीशियन के रूप में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए बर्खास्तगी के आदेश को सेवा समाप्ति में संशोधित किया जाए ताकि उसे किसी अन्य संगठन में रोजगार पाने में सक्षम बनाएं। प्रस्ताव को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तदनुसार बर्खास्तगी के दंड को सेवा समाप्ति में बदल दिया गया। आगे यह भी निर्देश दिया कि इस न्यायालय में जमा की गई 1,00,000/- रूपये की राशि अपीलकर्ता को उसके खर्चो के चुकाने के लिए भुगतान की जावें। [पैरा 5] [366-जी, एच; 367-ए, बी]

**सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः- सिविल अपील संख्या 4842/2007।**

कलकत्ता उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 663/2000 में एपीओ संख्या 240/2003, एपीओटी नम्बर 632/2002, जीए नम्बर 3469/2002 में द्वारा पारित निर्णय व अंतिम आदेश दिनांक 10.04.2007 से।

के.वी. विश्वनाथन, सुमन ज्योति खेतान और पी.एस. सुधीर - अपीलकर्ता के लिए।

एल.एन. राव, ललित भसीन, नीना गुप्ता, आंकाक्षा, नेहा शर्मा, स्विगिन और बीना गुप्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का फैसला जस्टिस हरजीत सिंह बेदी द्वारा सुना गया।

1. अनुमति दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उसने 2 अगस्त 2002 के एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध किये गये सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया था, और उसे 50 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था। पक्षों के विद्वान वकील द्वारा जो कहा गया है, उसके आलोक में, हम पाते हैं कि विवाद वाले मामले पर विस्तृत चर्चा करना आवश्यक नहीं होगा। तदनुसार आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है।

3. वर्तमान अपीलकर्ता शिवा आनंद, इंडियन एयरलाईंस के कर्मचारी थे और कलकत्ता हवाई अड्डे पर तैनात थे। अगस्त 1998 में उन्होनें दिल्ली की यात्रा के लिए रियायती हवाई टिकट के लिए आवेदन किया **ए**-और 22 अगस्त 1998 को दिल्ली के लिए रवाना हुए। 28 अगस्त 1998 को उन्होनें नई दिल्ली में आस्ट्रेलियाई उच्चायोग का दौरा किया और आस्ट्रेलिया में प्रवेश के लिए वीजा के लिए आवेदन किया। 2 सितम्बर 1998 को वह फिर से आस्ट्रेलियाई उच्चायोग गए और कथित तौर पर श्री एस के बसु, इंडियन एयरलाईंस के वरिष्ठ मुख्य प्रबंधक द्वारा हसताक्षरित नियोक्ता का प्रमाण पत्र जमा किया जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि उन्हें 01 सितम्बर 1998 से 30 अक्टूबर 1998 तक उपार्जित अवकाश दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाण पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए आस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने इंडियन एयरलाईंस से संपर्क किया जिस पर यह खुलासा हुआ कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट श्री एसके बसु द्वारा जारी नहीं किया गया है। श्री एस के बसु के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ तदनुसार अनुशानात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, और उन्हें 28 अक्टूबर 1998 को एक आरोप पत्र जारी किया था। एक विस्तृत जांच के बाद, जिसे अपीलकर्ता ने बार - बार बाधित करने की कोशिश की, जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें सिफारिश की गई कि उसे सेवा से बर्खास्त

कर दिया जाए, जिस पर दंड प्राधिकारी ने इस आशय का अंतिम आदेश पारित किया। पार्टियों के बीच कुछ मुकदमेंबाजी के बाद, जो पार्टियों को इस न्यायालय में ले आए, अपीलकर्ता ने सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ एक विभागीय अपील दायर की। 18 जनवरी 2001 के आदेश द्वारा अपील भी खारिज कर दी गई। दोनों आदेशों को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौति दी गई। जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप् डिवीजन बैंच के समक्ष अपील दायर की गई, जिसने इसे उलट दिया और बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा। इन्हीं परिस्थितियों में वर्तमान अपील शिव आनंद द्वारा दायर की गई है।

4. हमने पक्षों के विद्वान वकीलो को विस्तार से सुना। हम उठाए गये मुद्दो और वीजा के लिए अपने आवेदन के साथ फर्जी दस्तावेज पेश करने के प्रयास में अपीलकर्ता के आचरण के मद्देनजर डिवीजन बैंच के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।

5. इस स्थिति का सामने करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने वैकल्पिक रूप् से कथन किया जिसमें से एक यह है कि अपीलकर्ता का इंडियन एयरलाइंस के साथ 27 वर्षो तक समान रूप् से अच्छा कैरियर था और विमान इंजिनियरिंग में एक उच्च योग्य मास्टर तकनीशियन के रूप् में उनकी विशेषज्ञता पूर्णतः ज्ञात थी, और चूंकि बर्खास्तगी के आदेश ने भविष्य में रोजगार की सभी संभावनाओं को बंद कर दिया था, इसलिएशायद यह उचित था कि बर्खास्तगी के आदेश को सेवा समाप्ति के आदेश में संशोधित किया जाए ताकि वह किसी अन्य संगठन में रोजगार पाने में सक्षम हो सके। अप्रार्थी इंडियन एयरलाईंस के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राव ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा था, और उसके बाद हमें सूचित किया कि इंडियन एयरलाइंस प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक थे ताकि अपीलकर्ता को

भविष्य में रोजगार के लिए पात्र बनाया जा सके। हम तदनुसार बर्खास्तगी के दंड को सेवा समाप्ति में संशोधित करते हैं। हम आगे निर्देशित करते हैं कि रू. 1,00,000/- जो इस न्यायालय में जमा किया गया है, अपीलकर्ता को उसके खर्चों को चुकाने के लिए भुगतान किया जाएगा।

6. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अटल सिंह चाँपावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।